राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 250/2010

शलभ टण्डन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रमुख शिक्षा सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त (ईजीएस) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सोशल ऑडिट ग्रुप–3, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला परियोजना समन्वयक (नरेगा) एवं जिला कलक्टर, राजसमंद।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमंद।
6. ब्लॉक विकास अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, पंचायत समिति, भीम, जिला राजसमंद।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.02.2010
आदेश की दिनांक : 17.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी जल संसाधन विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर और वर्तमान में पंचायती राज विभाग में पंचायत समिति, भीम, जिला राजसमंद में कार्य कर रहा है और उसे नरेगा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अपीलार्थी की सेवाएं हमेशा संतोषजनक रही हैं। आदेश दिनांक 25.11.2009 के द्वारा जिला कलक्टर द्वारा ग्राम पंचायत, समेलिया के

कार्यों की ऑडिट पार्टी नियुक्त की गई और उक्त आदेश की पालना में ग्राम पंचायत, समेलिया के कार्यों की ऑडिट उपरांत जिला कलक्टर के समक्ष रिपोर्ट पेश की गई। पत्र दिनांक 20.12.2009 जिसमें पक्के कार्यों में अधिरचना का माप जोख लिया गया है जो भौतिक रूप से माप पुस्तिका मिलान के अनुरूप सही पाया गया है। समयाभाव के कारण नीव का माप जोख नहीं लिया जा सका और इस प्रकार कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत की अभिलेख एवं लेखा जांच अनुसार ग्राम पंचायत, समेलिया पंचायत समिति, भीम में कुल राशि रूपये 19,59,864/– तथा ब्याज राशि रूपये 2,64,582/– वसूली योग्य बनते हैं और विभाग द्वारा दुबारा ऑडिट कराने पर, जिसमें आदेश दिनांक 13.01.2010 के द्वारा रूपये 5,15,326/– अपीलार्थी, सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव से वसूली किए जाने योग्य बताई गई। उक्त वसूली के संबंध में अपीलार्थी को नोटिस दिया गया और उससे आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2010 के द्वारा तीनों बराबर अनुपात में राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए, जिसमें 1/3 के आधार पर अपीलार्थी से रूपये 1,71,775/– जमा कराने के आदेश दिए गए, जो अनुचित व अवैध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है।

दोनों पक्षों को अंतिम रूप से सुना गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि केवलमात्र जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी से वसूली की जा रही है, जबकि जांच के दौरान अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है न ही अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही किए जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2013(1) डब्ल्यू.एल. सी. (राज.) 423 सागर मल जैन बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसूली बिना सुनवाई का अवसर दिये किया जाना उचित नहीं माना है।

अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के उपरोक्त अभिकथन का खण्डन प्रत्यर्थी विभाग की ओर से नहीं किया गया है। अतः हम यह

पाते हैं कि अपीलार्थी से उक्त राशि रूपये 1,71,775/– वसूल किए जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से उक्त राशि वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं पूर्ण अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् ही वसूली के संबंध में न्यायसंगत आदेश पारित किया जाये। तब तक वसूली की कार्यवाही नहीं की जाये।

उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य